



सीताराम वगै. बनाम जयदीप बिहाणी वगै.  
अपील प्रकरण सं. 43/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
22.07.15	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। रिकॉर्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.09.2015 को पेश हो।	N.7 1606-57 (3) 6.8.15
9.9.15	अपीलांट के अधिवक्ता उप. रैश्यो सं. 01 का सम्मन बाद तमील एवं रैश्यो सं. 2 का नोटिस भवस तमील प्राप्त हुआ - शेष नोटिस बाद भवस तमील - भ्रष्टाचार। रैश्यो सं. 01 की ओर से श्री विवेन्द्र मिश्रा, Adv. ने वकालतनामा पेश किया - शा. सिसल ही। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 6.10.15 को पेश हो।	
6.10.15	अभिभाषक उचयपक्ष उप. रैश्यो सं. 01 को जारी सम्मन 2 रैश्यो बाद भवस तमील भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 9.11.15 को पेश हो।	
9.11.15	अभिभाषक उचयपक्ष उप. रैश्यो सं. 01 को जारी सम्मन 2 रैश्यो बाद भवस तमील भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 15.12.15 को पेश हो।	
15.12.15	अभिभाषक उचयपक्ष उप. रैश्यो संख्या 02 का सम्मन भवस तमील एवं शेष सम्मन (3,4) भवस तमील - भ्रष्टाचार। अपीलांट के अधिवक्ता पुनः सम्मन तलबना पेश करें। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 20.01.16 को पेश हो।	
20.01.16	अभिभाषक उचयपक्ष उप. अपीलांट के रैश्यो संख्या 2-3-4 के सम्मन तलबना पेश करें - सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 26.02.16 को पेश हो।	

Gen. No. 12

OFFICE NOTE

Rajasthan  
- Office  
- Deptt.

~~26/7/18 वाक्य धरि करि स्वगि ई  
पत्रावली 28/8/18 विपरीत~~

28/8/18

अभिमात्र उग्रपक्ष उपस्थित। उक्त  
दिवस समय याह उक्त जो उक्त उक्त  
पत्रावली वाक्ते उक्त सिंग 28/8/18  
जो पत्रावली

9.2019

अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता  
अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
अनवानी अपील में पक्षकारों का राजीनामा हो गया है और  
अपीलांट उक्त अनवानी अपील आगे नहीं चलाना चाहते है।  
ऐसी सूरत में आज की पेशी में अपील ली जाकर मौजूदा सूरत  
में ही अपील दाखिल दफतर की जावें। अतः अपीलार्थी के  
अधिवक्ता एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता के No Objection  
करने पर पत्रावली आज तलब कर तारीख पेशी पर ली जाकर  
अपीलार्थीगण की अपील राजीनामा के आधार पर खारिज की  
जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को  
भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार  
की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया

*[Signature]*  
13/8/18  
अपीलार्थीगण  
आपानगर

*[Signature]*  
13-9-18  
अधिवक्ता